न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 38 / 2015
वाद डायरी दिनांक : 26 / 03 / 2015
निर्णय दिनांक :

रामस्वरूप पुत्र सुखालाल, जाति बैरवा, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादी

बनाम

1. मुबारक पुत्र अब्दुल रहूफ, जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. मुरलीधर पुत्र रामलाल, जाति जाट, निवासी लोरडी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. इब्राहिम पुत्र मीराबक्ष, जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. हनुमान पुत्र गोविन्द, जाति बैरवा, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. रसीद पुत्र चांद खां, जाति नागोरी निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी
प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 के विरूद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद—पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 01 खसरा नम्बर 4354 रकबा 1.72 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता है, पर वादी की आराजी खतौनी संख्या 1198 के आराजी खसरा नम्बर 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 7402 कुल किता 08 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है, का वादी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार रिकार्डेड काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का मौके पर तकासमा नही हो रखा हैं। वादी की आराजीयात व गै.मु. रास्ते के बीच में किसी प्रकार की कोई अन्य आराजी स्थित नही हैं। वादी की आराजीयात के आसपास प्रतिवादीगण की कोई आराजीयात नही है, उसके बावजूद भी वादीगण गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से प्रतिवादीगण अपनी राजनितिक पहूँच का नाजायज फायदा उठाकर परेशान करते रहते है एवं नाजायज रूप से वादी की आराजीयात व रास्ते के बीच में आबादी की भूमि बताकर जबरन वादी की आराजीयात में दुकाने बनाने पर आमादा रहते है एवं वादी की आराजीयात के सामने बजरी, पत्थर डालकर दुकानो का निर्माण कार्य चालू कर दिया हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनन अधिकार नही हैं। दिनांक 15/03/2015 को वादी अपनी आराजी को रोजमर्रा की भाँति सार—संभाल करने गया तो देखा कि वंहा पर प्रतिवादीगण वादी की आराजीयात के रोड फन्ट पर जबरन निर्माण कार्य कर रहे थे, इस हेतु निर्माण सामग्री भी डाल रखी थी, जब वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य बाबत औलमा दिया तो लोग अतिउग्र हो गये तथा वादी के साथ मारपीट पर भी आमदा हो गये तथा धमकी दी कि अब शीघ्र ही तुम्हारी जमीन कब्जा करेंगे एवं तुम्हें कब्जे से बेदखल करेंगे, इस प्रकार वादी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद—पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ—साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में दर्शित वादी की आराजीयात व आराजीयात के सामने आम रास्ते के मध्य में किसी प्रकार का पुख्ता या खाम निर्माण नही करें न कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करे, ना निर्माण सामग्री डाले, ना ही अपने नौकर इत्यादि से बाधा उत्पन्न कराये तथा न ही बेदखल करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 06/03/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। 29/06/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मौजमाबाद में पेश हुई। कैम्प में वादी एवं पैरोकार उपस्थित हुये। वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 किता-3 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 1198 का वादी मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार अपने हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। वादी ने अपने वाद-पत्र में निवेदन किया है कि "वादी की आराजीयात व गै.मु. रास्ते के बीच में किसी प्रकार की कोई अन्य आराजी स्थित नही हैं। वादी की आराजीयात के आसपास प्रतिवादीगण की कोई आराजीयात नही है, उसके बावजूद भी वादी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से प्रतिवादीगण अपनी राजनितिक पहूँच का नाजायज फायदा उठाकर परेशान करते रहते है एवं नाजायज रूप से वादी की आराजीयात व रास्ते के बीच में आबादी की भूमि बताकर जबरन वादी की आराजीयात में दुकाने बनाने पर आमादा रहते है एवं वादी की आराजीयात के सामने बजरी, पत्थर डालकर दुकानों का निर्माण कार्य चालू कर दिया हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनन अधिकार नही हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें।" प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के उपस्थित नही हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुई है, लेकिन चूंकि वादी वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसकी रिकार्डेड खातेदारी में दखल करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनन अधिकार नही है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 4354 जो कि गै.मु. रास्ता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई कब्जा करने, निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 7402 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद में वादी के कब्जे काश्त व वादी की आराजीयात के सामने स्थित आम रास्ता के मध्य में किसी प्रकार का पुख्ता या खाम निर्माण नही करें न कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें ना निर्माण सामग्री डाले, ना ही अपने नौकर, इत्यादि से बाधा उत्पन्न करायें न ही बेदखल करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक .... को कैम्प कोर्ट मौजमाबाद में मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)